# कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813


पत्रांक : 01/यो0बजट–48/2015–547 दिनांक : 18.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल/धनबाद वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण तथा अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल **रू0 38.690 लाख (अड़तीस लाख उनहत्तर हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंगः–** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–70/2015–61/स्वी0 व0प0 दिनांक–07.03.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–70/2015–28/आ0 व0प0 दिनांक 14.05.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 38.690 लाख (अड़तीस लाख उनहत्तर हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S240601789580103 | 36.792 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789580323 | 1.898 |
| कुल :– | | **38.690** |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

F:\DEVELOPMENT\2019-20\Allotment\SCSP\Notified Forest & Soil Conservation\S.O. 61 dt 07.03.2017 (5)\5th year.doc

**3.** इस योजना का कोड संख्या 19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

**4.** सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

**5.** वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

**6.** नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

**7.** इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

**8.** स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**9.** नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

**10.** इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**11.** योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

**12.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

**13.** रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

**14.** वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

**15.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।**

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–48/2015–547** दिनांक–**18.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ बोकारो/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ बोकारो/ गढ़वा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–48/2015–547** दिनांक–**18.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ धनबाद/ बोकारो/ गढ़वा/ हजारीबाग/ कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)

| क्र0 सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हे0) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **10283.00** | **500.00** | **10783.00** |
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi** |
| 1 | देवघर वन प्रमण्डल, देवघर | 60 | 6.170 | 0.300 | 6.470 |
| 2 | धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद | 30 | 3.085 | 0.150 | 3.235 |
| **योग :–** | | **90** | **9.255** | **0.450** | **9.705** |

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)

| क्र0 सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हे0) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **13280.96** | **750.00** | **14030.96** |
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi** |
| 1 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | 30 | 3.984 | 0.225 | 4.209 |
| 2 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा | 60 | 7.969 | 0.450 | 8.419 |
| 3 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा | 35 | 4.648 | 0.263 | 4.911 |
| 4 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग | 40 | 5.312 | 0.300 | 5.612 |
| **योग :–** | | **165** | **21.913** | **1.238** | **23.151** |

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)

| क्र0 सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हे0) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **8034.53** | **300.00** | **8334.53** |
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi** |
| 1 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग | 40 | 3.214 | 0.120 | 3.334 |
| 2 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा | 30 | 2.410 | 0.090 | 2.500 |
| **योग :–** | | **70** | **5.624** | **0.210** | **5.834** |
| **सकल योग :–** | | **325** | **36.792** | **1.898** | **38.690** |

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0ब0–70 / 2015–61 / स्वी0 व0प0 दिनांक 07.07.2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (क)

## वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम– वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0)

**पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666**

**पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)** मजदूरी दर : 249.83 रू0 प्रति मानव दिवस

| क्र0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू० में) | सामग्री (रू० में) | कुल व्यय (रू० में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| (A) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | हे0 | 23.00 | 5746.09 | 0.00 | 5746.09 |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) | स्थल | 12.16 | 3037.93 | 0.00 | 3037.93 |
| 4 | घेरान की मरम्मत | चेन | 6.00 | 1498.98 | 0.00 | 1498.98 |
| | योग– | | **41.16** | **10283.00** | **500.00** | **10783.00** |

अनुलग्नक–2 (ख)

## वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे0)

**पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे**

**पौधों की दूरी : 2 मी0 X 2 मी0** मजदूरी दर : 249.83 रू0 प्रति मानव दिवस

| क्र0 सं0 | कार्य विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| (A) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | हे0 | 35.00 | 8744.05 | 0.00 | 8744.05 |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | 12.16 | 3037.93 | | 3037.93 |
| 4 | घेरान की मरम्मत | 6 चेन प्रति हे0 | 6.00 | 1498.98 | | 1498.98 |
| योग :– | | | **53.16** | **13280.96** | **750.00** | **14030.96** |

अनुलग्नक–2 (ग)

## वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे मजदूरी दर : 249.83 रू0 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार

| क्र0 सं0 | कार्य विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| (A) | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | हे0 | 14.00 | 3497.62 | 0.00 | 3497.62 |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | 12.16 | 3037.93 | | 3037.93 |
| 4 | घेरान की मरम्मत | 6 चेन प्रति हे0 | 6.00 | 1498.98 | | 1498.98 |
| | योग :– | | **32.16** | **8034.53** | **300.00** | **8334.53** |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-28/2019/547 दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32050 | DGRFORE88<br>PREMJIT ANAND<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO. | 617,000.00<br>रुपये छः लाख स त्र ह हजार |
| 2 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32052 | DHNFOR001<br>SRI BIMAL LAKRA<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 308,500.00<br>रुपये तीन लाख आठ हजार पॉच सौ |
| 3 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32053 | BKRFOR001<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D F O, BOKARO | 398,400.00<br>रुपये तीन लाख अठानवे हजार चार सौ |

योग: 1,323,900.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख तेइस हजार नौ सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र सं ा - 01/YB-28/2019/547 | दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32054 | GRHFWL003<br>SHYAM BIHARI PRASAD<br>DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 796,900.00<br>रुपये सात लाख छयानवे हजार नौ सौ |
| 5 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32055 | GRHFWL001<br>ARVIND KUMAR GUPTA<br>D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 464,800.00<br>रुपये चार लाख चौसठ हजार आठ सौ |
| 6 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32057 | HZBFWL007<br>NAGENDRA BAITHA, I F S<br>D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 852,600.00<br>रुपये आठ लाख बावन हजार छः सौ |

योग: 2,114,300.00

क्रमिक योग: रुपये चौतीस लाख अडतीस हजार दो सौ 3,438,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र सं    ा - 01/YB-28/2019/547 दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32058 | KDMFORA02<br>KANAK KISHORE<br>D.F.O (S.F.) KODERMA | 241,000.00<br>रुपये दो लाख इकतालीस हजार |
| 8 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32060 | DGRFORE88<br>PREMJIT ANAND<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO. | 30,000.00<br>रुपये तीस हजार |
| 9 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32061 | DHNFOR001<br>SRI BIMAL LAKRA<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 15,000.00<br>रुपये पंद्रह हजार |

योग: 286,000.00

क्रमिक योग: रुपये सैतीस लाख चौइस हजार दो सौ 3,724,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र सं - 01/YB-28/2019/547 दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एंवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32062 | BKRFOR001<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D F O, BOKARO | 22,500.00<br>रुपये बाइस हजार पॉच सौ |
| 11 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32063 | GRHFWL003<br>SHYAM BIHARI PRASAD<br>DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 45,000.00<br>रुपये पैंतालीस हजार |
| 12 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32064 | GRHFWL001<br>ARVIND KUMAR GUPTA<br>D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 26,300.00<br>रुपये छब्बीस हजार तीन सौ |

योग: 93,800.00

क्रमिक योग: रुपये अडतीस लाख अठारह हजार 3,818,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-28/2019/547 दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 13 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32065 | HZBFWL007<br>NAGENDRA BAITHA, I F S<br>D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 42,000.00<br>रुपये बयालीस हजार |
| 14 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)<br>Centeral Scheme : NA | 32066 | KDMFORA02<br>KANAK KISHORE<br>D.F.O (S.F.) KODERMA | 9,000.00<br>रुपये नौ हजार |

योग: 51,000.00

क्रमिक योग: रुपये अडतीस लाख उनहत्तर हजार 3,869,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI